सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2015 ई0 (अग्रहायण 07, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाए, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

21 जुलाई, 2015 ई0

संख्या F-9 (21) RG/UERC/2013/689–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (zp) सपठित धारा 61 (h), 86(1)(e) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 (इसके पश्चात् मुख्य विनियम के रूप में संदर्भित) में निम्नानुसार संशोधित करता है, यथाः

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन :

   (1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेत शुल्क एवं अन्य निबंधन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2015 होगा।

   (2) ये विनियम सरकारी गज़ट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 3 में संशोधनः

   (a) विनियम 3 के उप–विनियम 3(1)(c) के पश्चात् निम्नानुसार निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जायेगीः–

   "(C1) बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि" से अभिप्रेत एक माह की वह अवधि है जिसके लिये अनुज्ञापी द्वारा प्रत्येक योग्य उपभोक्ता हेतु विद्युत बिल तैयार किया जायेगा।

   (b) विनियम 3 में उप–विनियम 3(1)(m) के पश्चात् निम्नानुसार निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जायेगीः–

   "(m1) "योग्य उपभोक्ता" से अभिप्रेत वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में ऐसा विद्युत उपभोक्ता, जिसके पास उसकी आंशिक अथवा संपूर्ण विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसके परिसर पर एक रूफटॉप या लघु सौर प्रणाली उपलब्ध है।

   (c) विनियम 3 के उप–विनियम 3(1)(cc) के पश्चात् निम्नानुसार निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जायेगीः–

   "(cc1)" परिसर" से भूमि, भवन या अवस्थापना या उनका भाग अथवा मिश्रण जिसमें योग्य उपभोक्ता स्वामित्व का रूफटॉप या/तथा ऊँचे क्षेत्र सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है।

   (d) विनियम 3 के उप–विनियम 3(1)(mm) के पश्चात् निम्नानुसार निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जायेगीः–

   ""(mm1)" तृतीय पक्ष स्वामी" से अभिप्रेत ऐसा विकासकर्ता, जो योग्य उपभोक्ता के परिसर में स्थापित उसके संयंत्र से सौर ऊर्जा उत्पादित करता है और जिसने ऐसे योग्य उपभोक्ता के साथ एक पट्टा/वाणिज्यिक करार किया है।

3. मुख्य विनियम के विनियम 7 में संशोधनः

विनियम 7 के उप–विनियम (2) के पश्चात् निम्नानुसार निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः–

"जहाँ ऐसे तृतीय पक्ष द्वारा परिसर में एक ग्रिड इन्टरेक्टिव रूफटॉप और लघु सौर PV संयंत्र संस्थापित किया जाता है जो वितरण अनुज्ञापी को शुद्ध ऊर्जा (अर्थात परिसर के स्वामी के संपूर्ण उपभोग के समायोजन के पश्चात्) विक्रय करना चाहता हो तो तृतीय पक्ष, योग्य उपभोक्ता और ऐसे वितरण अनुज्ञापी के मध्य एक त्रिपक्षीय करार करना होगा।"

4. मुख्य विनियम के विनियम 35 में संशोधनः

विनियम 35 के उप–विनियम (2),(3),(4) व (5) को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगाः–

(1) "किसी योग्य उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में अन्तः क्षेपित किये जाने के लिये रूफ टॉप सौर पी0वी0 स्रोतों को संस्थापित किया जा सकता है।

बशर्ते, योग्य उपभोक्ता के परिसर पर रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र व लघु सौर पी0वी0 संयंत्र की अधिकतम संस्थापित क्षमता 500 kW से अधिक नहीं होगी।

(2) योग्य उपभोक्ता (ओ) या तृतीय पक्ष के स्वामित्व वाले रूफ टॉप सौर पी0वी0 स्रोतों से ऐसे अन्तःक्षेपण की प्रत्येक बिलिंग अवधि के अंत में शुद्ध ऊर्जा आधार पर तय किया जायेगा।

बशर्ते, ऐसी शुद्ध ऊर्जा उक्त बिलिंग अवधि में उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के 95% से अधिक नहा होगी।

शर्ते, जहां एक बिलिंग अवधि में अन्तःक्षेपण की गई शुद्ध ऊर्जा उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के 95% से अधिक होती है वहां ऐसी अधिशेष शुद्ध ऊर्जा का भुगतान (शुद्ध ऊर्जा–उत्पादित वास्तविक ऊर्जा का 95%) उक्त योग्य उपभोक्ता के लिये दर अनुसूची में निर्धारित विद्युत प्रभारों के न्यूनतम आधार स्लैब पर किया जायेगा।

(3) वितरण अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के संबंध में आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार बिलिंग अवधि में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई शुद्ध ऊर्जा हेतु लागू होगी, यदि अनुज्ञापी द्वार आपूर्ति की गई ऊर्जा, उपभोक्ता (ओ) या तृतीय पक्ष के एक रूफ–टॉप सौर पी0वी0 स्रोतों द्वारा अन्तःक्षेपित ऊर्जा से अधिक है।

बशर्ते, ऐसे योग्य उपभोक्ता को मासिक न्यूनतम प्रभारों या मासिक न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार या किन्हीं अन्य प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

बशर्ते कि उन्मुक्त अभिगमन प्रभार, जिसमें अधिभार भी सम्मिलित है, ऊर्जा के कैप्टिव उपयोग हेतु ऐसे योग्य उपभोक्तओं पर उदग्रहित नहीं होंगे।

(4) यदि किसी बिलिंग अवधि में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा, उपभोक्ता (ओ) या तृतीय पक्ष के रूफ–टॉप सौर पी0वी0 स्रोतों द्वारा अन्तःक्षेपित ऊर्जा से कम है तो ऊपर लिखित उप– विनियम (3) में उपबंधों के अधीन अनुज्ञापी को, आपूर्ति की गई ऐसी शुद्ध ऊर्जा हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में सामान्य शुल्क पर बिलिंग की जायेगी।"

5. मुख्य विनियम के विनियम 42 में संशोधनः

विनियम 42 निम्नलिखित रूप से पढ़ा जायेगाः–

"42 ग्रिड इन्टरेक्टिव रूफटॉप और लघु सौर पी0वी0 संयंत्रों के लिये संयोजित और मीटरिंग व्यवस्था"

(1) रूफटॉप सौर पी0वी0 स्रोत अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में निम्नलिखित वोल्टेज स्तर पर संयोजित होंगे।

(i) 4 kW तक भार : निम्न वोल्टेज सिंगल फेज आपूर्ति।

(ii) भार > 4 kW से 75 kW तक : निम्न वोल्टेज थ्री फेज आपूर्ति।

(iii) भार > 75 kW से 500 kW तक : 11 kW पर।

(2) यदि ग्रिड के साथ ऐसे स्रोतों के संयोजन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला आयोग को संदर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

(3) अनुज्ञापी के स्रोतों से उपभोक्ता (ओं) को और रूफटॉप सौर PV स्रोतों से अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली को विद्युत की आपूर्ति को या तो दो पृथक मीटरों द्वारा नापी जायेगी, जिनकी रीडिंग शुद्ध आधार पर निपटान हेतु प्रत्येक बिलिंग अवधि में उपयोग की जायेगी अथवा एक आयात निर्यात प्रकार के मीटर द्वारा जो शुद्ध विनिमय को सीधे नापने के लिये उपयुक्त हो।

(4) जेनरेटर के छोर पर स्विच गियर, मीटरिंग तथा संरक्षण व्यवस्था की लागत को सौर जेनरेटर्स के स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा। तथापि, मेन मीटर्स की विशेषता वाले चेक मीटर्स वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

बशर्ते, चेक मीटर्स और संबंधित उपकरण ऐसे सयंत्र–स्वामी द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। तथापि, चेक मीटर की लागत ऐसे सयंत्र स्वामी को अनुज्ञापी द्वारा वापस की जायेगी।

(5) स्थानीय वितरण अनुज्ञापी के ग्रिड के साथ रूफ टॉप पी0वी0 सौर ऊर्जा जेनरेटर के अन्तः संयोजन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के समय–समय पर संशोधित सुसंगत उपबंध लागू होंगे।

(6) रूफटॉप पी0वी0 सौर ऊर्जा उत्पादक सुरक्षित प्रचालन, अन्तः संयोजन बिन्दु तक इसकी प्रणाली के रख–रखाव और त्रुटि सुधार हेतु जिम्मेदार होगा, उसके आगे शुद्ध मीटर सहित इस प्रणाली के सुरक्षित प्रचालन, रख–रखाव और त्रुटि सुधार की जिम्मेदारी वितरण अनुज्ञापी की होगी।

(7) जब ग्रिड आपूर्ति बन्द हो, तब सौर संयंत्र से बैक फीडिंग होने के कारण किसी मानव/पशु को होने वाली किसी घटना/दुर्घटना (घात)/अघातक/विभागीय/अविभागीय/अनुज्ञापी की सामग्री की क्षति के लिये योग्य उपभोक्ता एकमात्र रूप से जिम्मेदार होगा और ऐसा उपभोक्ता न केवल अनुज्ञापी की सामग्री को क्षति की लागत वहन करेगा अपितु ऐसी घटना/दुर्घटना होने पर मानव/पशुओं के जीवन हेतु भी क्षतिपूर्ति करेगा। वितरण अनुज्ञापी के पास मानव और सामाग्री की दुर्घटना या क्षति को रोकने के लिये ऐसी अत्यावश्यकता होने पर किसी भी समय उपभोक्ता की संस्थापना को विच्छेदित करने का अधिकार सुरक्षित है।

आयोग के आदेश से,
नीरज सती,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/647–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।